FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सीमा देवी उर्फ रामेश्वरी देवी बनाम राजस्थान सरकार

अन्तर्गत धारा 88 आरटीए प्रकरण संख्या 195 सन 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/345

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.10.2024	वादी सीमा देवी उर्फ रामेश्वरी देवी पुत्री नत्थूराम पत्नी लालचन्द उर्फ लालूराम जाति मेघवाल निवासी 36 एच नग्गी तहसील श्रीकरणपुर मार्फत मांगीलाल पुत्र लालचन्द उर्फ लालूराम जाति मेघवाल निवासी 36 एच नग्गी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर प्राप्त होने पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 में दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली दिनांक 15.10.2024 को पेश हो।	
15/10/24	वादी ~~अधिवक्ता~~ स्वयं उपस्थित आयी। बहस वादिया सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 15 एस की जमाबन्दी सम्वत २०७६ ता २०७९ के खाता सं २०७/180 मे क्र.स.10 पर अंकित नाम सीमा देवी के स्थान पर सीमा देवी उर्फ रामेश्वरी देवी दर्ज करवाने बाबत अर्ज किया गया है। वादिया के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात मे नाम रामेश्वरी देवी अंकित है लिहाजा प्रार्थी/ वादिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 15 एस की जमाबन्दी सम्वत २०७६ ता २०७९ के खाता संख्या २०७/180 ~~क~~ मे क्र.स.10 पर अंकित नाम सीमा देवी के स्थान पर सीमा देवी उर्फ रामेश्वरी देवी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। शेष खाता व रकबा बदस्तूर रहे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति TDR KPR को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर	अ० नि० रामेश्वरी देवी पहचानकर्ता [signature] (मांगीलाल)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)